न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।

दिनांकः– 06/06/2026

अभियुक्ता मीना की ओर से मु०अ०सं०– 97/2025, अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस०, थाना मौरावां जिला उन्नाव के प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर जमानत हेतु याचना की गयी है।

अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

अभियुक्ता आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में हैं तथा मामले में आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है। अभियुक्ता को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य विद्यमान नहीं है, जिससे यह दर्शित हो कि अभियुक्ता द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा आरोप की प्रकृति व दण्ड की अवधि को ध्यान में रखते हुये अभियुक्ता को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्ता मीना द्वारा 20 हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता हैः–

01:– अभियुक्ता दौरान विचारण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर नियत तिथि पर उपस्थित रहेगी।

02:– अभियुक्ता किसी भी साक्षी को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावित अथवा प्रताड़ित नहीं करेगी।

03:– अभियुक्ता विचारण में सम्पूर्ण सहयोग करेगी।

न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।